<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 9

18 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों के लिए एस.पी.वी.

9. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 2025 तक इस्पात उत्पादन की 300 एमटीपीए क्षमता प्राप्त करने के लिए जुलाई, 2013 को हुई बैठक में विनिर्माण संबंधी एक उच्च-स्तरीय समिति ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एसपीपी सृजित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार के समक्ष आंध्र प्रदेश में इस तरह का एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या बाधाएं आ रही हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): जी हाँ। वर्ष 2025 तक 300 एमटीपीए इस्पात उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माण संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 09.07.2013 की अपनी बैठक में देश में बड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) की अवधारणा का सुझाव दिया था। इस प्रकार के एसपीवी को विकसित करने के लिए चार खनिज संपन्न राज्य नामतः छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक की पहचान की गई थी। तथापि, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुसार वर्ष 2030-31 तक 300 एमटीपीए क्षमता का लक्ष्य हासिल किया जाना है।

(ग) और (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इसलिए इस्पात संयंत्रों की स्थापना संबंधी निर्णय निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उत्पादकों द्वारा वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार गतिशीलता के आधार पर पृथक-पृथक लिए जाते हैं।

****